

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>16/10/18</p>	<p>वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय किया. पेशी इलतवा होकर पत्राचार पेशी 01/11/2018 को पेश हो।</p>	
<p>01/12/18</p>	<p>पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इलतवा होकर पत्राचार दिनांक 01/12/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>डी.व.डी.</u></p>	
<p>05/02/19 APP 3401</p>	<p>इस्तगालि का अवलोकन किया। प्रकरण में जी.सा. के विरुद्ध कायम प्रकरणों में कोषलिह्न घोषित नहीं किया है तथा न ही प्राथम द्वारा ऐसा कोई दस्तवेज पेश किया है, जो जी.सा. को कोषलिह्न घोषित किए जाने की तारीख करता हो। इस कारण प्रस्तुत प्रकरण गुण्डा निरंमठा अधिनियम 1975 के द्वारा 2 (ख) (ग) की परिची में नहीं पाया जाता है। अतः इस्तगालि स्वारिम किया जाता है। प्रभावकी फैसल में शुमार होकर नम्बर से आते।</p> <p style="text-align: right;"><u>डी.व.डी.</u> अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली</p>	